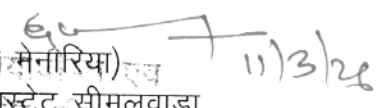
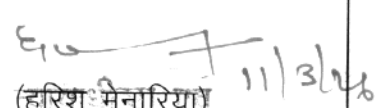


तारीख हुक्म	न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 32/2022 राजस्थान राज्य बनाम विशाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक: 11.03.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित। अभियुक्त विशाल मय अधिवक्ता श्री मनीष कलाल के साथ उपस्थित। साक्ष्य में कोई गवाह उपस्थित नहीं है। इसी स्तर पर अभियुक्त/अधिवक्ता ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त ने मामले में स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त विशाल पिता महेन्द्र कुमार दर्जी उम्र 27 साल निवासी सीमलवाडा पुलिस थाना धंबोला जिला डूंगरपुर, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अंवीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।  सिद्धि (हरिश मेनारिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा जिला डूंगरपुर सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुनने एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इस आशय का अभियुक्त ने स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। अभियुक्त से बरामदशुदा शराब की मात्रा भी अधिक नहीं है। अतः अपराध की प्रकृति आदि को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त विशाल पिता महेन्द्र कुमार दर्जी उम्र 27 साल निवासी सीमलवाडा पुलिस थाना धंबोला जिला डूंगरपुर, राजस्थान को दोषसिद्ध अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 20,000 रुपये का मुचलका व इसी कदर राशी की एक जमानत दो वर्ष की अवधि के लिये इन शर्तों की पेश कर तत्दीक करावे कि अभियुक्त समाज में शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त 800/- रुपये बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेगा। प्रकरण में जब्तशुदा शराब बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किये जाने बाबत सम्बन्धित थानाधिकारी/आबकारी विभाग को पृथक से तहरीर जारी हो। अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत जमानत मुचलके पेश किये, जो बाद जांच तत्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय की राशि रुपये 800/- जरिये जीआरएन नं. 0119777686 दिनांक 11.03.2026 से जमा करवाकर ई-चालान की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली रहे। अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया गया। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।  सिद्धि (हरिश मेनारिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा जिला डूंगरपुर	 विशाल